न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 27 / 2024
निर्णय दिनांक : 01.05.2024
GCMS NO : 2024/43 दायर दिनांक – 07.02.2024

बिड़दीचन्द पुत्र कुमा राम जाति जाट निवासी ग्राम खारिया बड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................प्रतिवादी

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री डूँगरसिंह एड. वादी
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के रोही ग्राम खारिया बड़ा के खाता संख्या 7 खसरा संख्या 371 संयुक्त खातेदारी में दर्ज स्थित है जिसमें प्रार्थी के नाम बिड़दाराम पुत्र कुंभाराम दर्ज है। तथा रोही ग्राम खारिया बड़ा में ही खाता संख्या 237 खसरा संख्या 672 / 126 एवं खाता संख्या 24 खसरा संख्या 394 / 125 में प्रार्थी का नाम बिरदीचन्द पुत्र कुम्भाराम दर्ज है।

प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में स्थित खेत वाके रोही ग्राम पार्वतीसर में खाता संख्या 3 खेत खसरा संख्या 584 / 484 संयुक्त खातेदारी में दर्ज स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम बिड़दीचन्द पुत्र कुम्भाराम दर्ज है।

प्रार्थी का वास्तविक एवं सही नाम बिड़दीचन्द पुत्र कुमा राम है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज बिड़दाराम पुत्र कुंभाराम व बिरदीचन्द पुत्र कुम्भाराम एवं बिड़दीचन्द पुत्र कुम्भाराम गलत दर्ज है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी को राजस्व से सम्बन्धित मिलने वाले सरकारी फायदों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादी का नाम बिरदीचन्द पुत्र कुमाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजों में नाम बिड़दीचन्द पुत्र कुमाराम दर्ज है। बिरदीचन्द एवं बिड़दीचन्द दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बिड़दीचन्द पुत्र कुमाराम किया जाना उचित है।

वादी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज परिवार राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड की प्रतिलिपि आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम बिड़दीचन्द पुत्र कुमाराम ही अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम खारिया बड़ा के खसरा संख्या 371 में दर्ज खातेदार बिड़दाराम पुत्र कुंभाराम तथा खसरा संख्या 672/126 व 394/125 में दर्ज बिरदीचन्द पुत्र कुम्भाराम तथा रोही ग्राम पार्वतीसर के खसरा संख्या 584/484 में दर्ज बिड़दीचन्द पुत्र कुम्भाराम के स्थान पर बिड़दीचन्द पुत्र कुमाराम किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ